[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]1.25	शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादीगण सं. 5, 6 के नोटिस चस्पानगी की सूचना के साथ बाद तामील संलग्न है। बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली में एकपक्षीय साक्ष्य वादी में वादी तुषार के बयान दर्ज रिकार्ड किये। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां हेतु दि. 25.1.25 को पेश हो। [signature]	तुषार मीणा
25.1.25	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28-1-25 को पेश हो। [signature]	
28/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 197 में नाबालिग निरसायर पुत्र हनुमान एवं खाता संख्या 356 में पप्पू पुत्र हनुमान दर्ज है। प्रार्थी के आधार, जनाधार कार्ड में तुषार पुत्र हनुमान मीना दर्ज रिकार्ड है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका में भी तुषार पुत्र हनुमान दर्ज है। उक्त खातों में पप्पू, निरसायर पुत्र हनुमान का नाम तुषार उर्फ पप्पू [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पुत्र हनुमान किया जाना अपेक्षित है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान की जानकारी के अनुसार तुषार उर्फ पप्पू पुत्र हनुमान को दोनों नामों से जाना जाता है।
	हमने वाद पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज जवाब तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। प्रकरण मे वादी राजस्व रिकार्ड मे अंकित नाम का इन्द्राज दुरुस्त करवाने हेतु याचना चाहता है। प्रकरण में धारा 88,89 RT Act के तहत किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है अतः पत्रावली मे केवल इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रस्तुत जमाबंदीयो में अंकित नाबालिग निरसायर पुत्र हनुमान, पप्पू पुत्र हनुमान तथा तुषार पुत्र हनुमान एक ही व्यक्ति है। अतः न्यायालय इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित समझता है। ग्राम गम्भीरा पटवार हल्का गम्भीरा तहसील नैनवां की खाता संख्या 197 नया, पुराना खाता संख्या 367 ~~की~~ मे दर्ज "नाबालिग निरसायर पुत्र हनुमान" तथा खाता संख्या नया 356 की जमाबंदी मे दर्ज "पप्पू पुत्र हनुमान" के स्थानों पर "तुषार उर्फ पप्पू पुत्र हनुमान" अंकित कर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)	